

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स एडी एगो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री मिथिलेश जयसवाल, पता-फ्लैट नंबर-1505, 1506 एवं 1507, 15वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर-38 अंसल टावर, नेहरू स्थान, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली द्वारा चानन नदी ब्लॉक-09 बालू घाट, मौजा-दुमोहन, प्रखंड-बांका, जिला-बांका में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 12.03.2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रखंड समागार बांका, जिला-बांका के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/ 2392/2023, दिनांक 11.05.2023 के आलोक में श्रीमती प्रतिभा कुमारी, अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पत्र द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा- "दैनिक जागरण" एवं "प्रभात खबर", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक 08.02.2024 को प्रकाशित की गयी है। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस० एन० झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पत्र संख्या- भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी पदाधिकारियों, आवेदक के प्रतिनिधि, खनन पट्टाधारक का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा इस लोक-सुनवाई में लोगों की उपस्थिति नहीं होने के कारण आवेदक के प्रतिनिधि से जानकारी की मांग की गयी। आवेदक के प्रतिनिधि ने लोक-सुनवाई के दौरान बताया कि लोगों को सुनवाई में उपस्थित करने का दायित्व उनका नहीं है।

अपर समाहर्ता के अनुरोध पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने सूचित किया कि लोगों का उपस्थित करवाने का दायित्व प्रस्तावक का नहीं है। इसके लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पत्र संख्या- के द्वारा 2 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रभावी क्षेत्र के निवासियों को सूचना प्रेषित करने के लिए विज्ञापन निकाली गयी थी, लेकिन इस सुनवाई में लोग उपस्थित नहीं हो सके, जिसके कारण परियोजना का विस्तृत विवरणी प्रस्तुत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

आवेदन के साथ संलग्न परियोजना का कार्यकारी सारांश में वर्णित विवरणी निम्नवत हैं:-

1. यह बालू खनन पट्टा चानन नदी स्थित ब्लॉक-09 बालू घाट, मौजा-दुमोहन, प्रखंड-बांका, जिला-बांका में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री मिथिलेश जयसवाल को इस खनन पट्टा के लिए वैधनिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक-09 बालू घाट में प्रतिवर्ष 1069200 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹1014.1 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक-09 बालू घाट को सम्मिलित किया गया है।



2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।
3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 3 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर-लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।


5


P

11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता-सह-सभा के अध्यक्ष महोदया के द्वारा निदेश दिया गया कि सुनवाई के द्वारा लोगों की उपस्थिति नहीं होने के तथ्यों से (वीडियोग्राफी सहित) विभाग को आवश्यक निर्णय लेने हेतु अवगत कराया जाय। अध्यक्ष महोदया के आदेश से सभा की कारवाई समाप्त की गयी।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है।










12-3-2024
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद,
भागलपुर।


अपर समाहर्ता
(लोक शिकायत निवारण)
-सह-
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,
बांका

10

उपस्थिति सूची

मेसर्स एडी एग्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री मिथिलेश जयसवाल, पता- "फ्लैट नंबर-1505, 1506 एवं 1507, 15वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर-38 अंसल टावर, नेहरू स्थान, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली द्वारा चानन नदी ब्लॉक-09 बालू घाट, मौजा-दुमोहन, प्रखंड-बांका, जिला-बांका का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 12.03.2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे लोक सुनवाई का स्थल: प्रखंड सभागार बांका, जिला- बांका में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:


क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Pratibha Kumari	ADMI (PGR) Coor DPGR BANKA	 12.03.24
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur Bihar State Poll Control Board	 12-3-2024
3.	KUMAR RANJAN	MINERAL DEVELOPMENT OFFICER, BANKA	 12/03/2024
4.	HARIDRA DJHA	MINES INSPECTOR, BANKA	 12/03/24
5.	MONNA KR. SHARMA	Env. Consultant Rian Enviro Pvt Ltd.	
6.	Abhishek Kumar	Environmental Consultant Rian Enviro Pvt. Ltd.	
7.	MUKESH MISHRA Representative	Banka, Bihar	
8.	MD. Shamim	BBPCB, Patna	
9.			
10.			

2
1
4
2




GPS Map Camera

Banka, Bihar, India
VWV7+8R3, Banka Rd, Banka, Bihar 813102, India
Lat 24.893047°
Long 86.914217°
12/03/24 01:38 PM GMT +05:30



Google



GPS Map Camera

Banka, Bihar, India
VWV7+3MG, Banka, Bihar 813102, India
Lat 24.893007°
Long 86.914185°
12/03/24 01:40 PM GMT +05:30



Google

1
2
3
4